(To be filled by the students, in their own hand writing)

# **APPLICATION FORM FOR UG (MBBS) ADMISSION**



(Ragging is a Serious offence that is totally prohibited in the College)

4	
$\overline{}$	

# CANDIDATE DETAIL

NEET-UG	NEET	Gender	Religion	Cate	egory	NEET	Rank	NEET N	Marks
Counseling Year 2025-26	Roll			Actual	Allotted	AIQ	State	Obtained	Total
	No.								
15% All India quota ()									
or									
85% State Quota ()									
Willingness details (are you want to participate in next round of consoling Yes/No (For AIO/State Ouota Candidates)									

Name of Stude Mob.No./What DOB (DD/MM Place of Birth . If Native State Parents Total A Permanent Ad Post Office District	sApp No [/YYYY)is Uttar Pradesl Annual Income a	h, Then and Sou	E-NN time of living	Mail IDste under Cate ative Stateg	gory Police St	ation			
Corresponden	ce Address								
District	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	S	tate	PIN Code					
If Parents are	<b>Employed the</b>	n Offic	ial Address						
District		S	tate		PIN Cod	e			
If Local Guard	dian available	then N	ame & Addr	ess					
District		S	tate		PIN Cod	e			
<b>Family Details</b>	<b>5:</b>								
Details	Name Occupation		Mobile No	Mobile No./WhatsApp No.			Email ID		
Father									
Mother									
Spouse									
Academic Info	rmation:	•				*			
Examination	Year of Admission	Month & Year	r name of Board/	Name of College with	Roll No.	Marks Detail S		Passing State	
		Passing	University	Address	110.	Maximum Obtained			
HIGH SCHOOI (X Grade)									
						Physics			
INTERMEDIA	re					Chemist	-		
(X+2 Grade)						Biology			
						English			
OTHERS						Total			
DECLARATIO	)NI								
	named, do her has been conce	ealed th	erein. If later	on any inform					
Date/	/	9	Signature of	Parents/Guar	dian	Sign	nature	of Student	

(To be filled by the students, in their own hand writing)

#### **APPLICATION FORM FOR UG (MBBS) ADMISSION**



(Ragging is a Serious offence that is totally prohibited in the College)



### CANDIDATE & DOCUMENTS VERIFICATION

Selection Made Through 1. All Ind NEET Roll No					
Name of Student					
Mob. No./ WhatsApp No		E-Mail ID			Aadhar
No//	· <del></del>				
Identification Marks 1		2			
IMPRESSION					
(Lef	ft Hand Thumb)	(Right Hand Th	iumb)		
(Left Index Fing	er)	(Right Index Finger)	_ §	Signature of Student	

SL No.	REQUIRED ORIGINAL DOCUMENTS WITH TWO PHOTO COPIES	(Yes / No)
1-	Allotment Letter/Admit Card/ Score Card/ Result/Rank Letter of Qualifying Examination Online Registration Proof (only for UP state Counseling) Document Verification Slip (only for UP state Counseling)	
2-	High School & Intermediate Mark sheets & Pass Certificates	
3-	Other Examination Mark sheets & Pass Certificates	
4-	Transfer Certificate (If intermediate Passed from UP/ UP Board) or Migration Certificate for other states	
5-	If required then Reservation certificate on format given in information brochure (OBC/ SC/ ST/ EWS)	
6-	If required then Other Reservation certificate on format given in information brochure (NCC / PH/ FF/ EA)	
7-	Character Certificate issued by last educational institution	
8-	Copy of Aadhar Card, Copy of Bank Passbook	
9-	If High school/Intermediate or both examinations passed from other state then domicile certificate required on Format given in NEET UP Counseling brochure (Only for those students who allotted through State Quota)	
10-	Affidavit on ₹ 10.00 (non-judicial stamp paper) regarding GAP and Others	
11-	Affidavit on ₹ 100.00 (non-judicial stamp paper) regarding service bond by students	
12-	Two passport size color combined photographs of student with parents	
13-	Approx. 04 photographs of student as on admit card	

#### :: **DECLARATION** ::

I above named, do hereby declare that the above documents are correct and genuine. Nothing has been concealed therein. If later on any document is found to be false at any stage, my candidature will be liable to be rejected.

**Signature of Student** 

Signature of Verification authority-1 Signature of Verification authority-2

 ${\bf Signature\ of\ Verification\ authority\ -3}$ 

# सूचना

आपके पुत्र / पुत्री / सम्बन्धी द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, पीलीभीत एम०बी०बी०एस० पाठय्क्रम में प्रवेश प्राप्ति की महती सफलता के लिए आप बधाई के पात्र हैं। यह आपके प्रेरणादायी अथक प्रयास, जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किये गये, के फलस्वरूप ही सम्भव हो सका। आप अवश्य चाहते होंगे कि वह इस चिकित्सा महाविद्यालय की महान परम्पराओं को आगे बढाने में सफल हो। इसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है आप समय—समय पर परीक्षाओं में छात्र के प्राप्तांकों तथा कक्षाओं में उपस्थिति की सूचना विभागाध्यक्षों / महाविद्यालय की वेबसाईट से अवश्य प्राप्त करते रहें। यदि वे आन्तरिक परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो कारण जानने का प्रयास करें। महाविद्यालय का शैक्षणिक कैलेन्डर महाविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। कृपया उसे देख लें तथा यदि छात्र बिना किसी उचित कारण घर पर रहें, तो आप उनका उचित मार्गदर्शन करते हुए कक्षाओं में उपस्थित रहने को प्रेरित करें। उनके भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाने के इस प्रयत्न में सकारात्मक योगदान प्रदान करें। आपके प्रयासों से ही वे यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी सफल होंगे। 6कृपया अपने पुत्र / पुत्री / सम्बन्धी के लिए स्थानीय अभिभावक के विषय में अवश्य सूचित करें।

#### **Undertaking by the Student**

Signature of Student

#### **Undertaking by Guardian/Parents of the Student**

I hereby assure and undertake that my son/daughter/ward being admitted to the Autonomous State Medical College, Pilibhit shall maintain good conduct and behavior at all times during his/her stay and he/she shall render himself/herself liable to expelled or rusticated or being dealt with according to the rules and provisions.

#### Signature of Parents/Guardian

Ragging is a serious offence that is totally prohibited in the medical college or institution. Anyone found guilty of ragging or abetting ragging, whether actively or passively, or being a part of a conspiracy to promote ragging, is liable to be punished in accordance with these regulations as well as under the provisions of any penal law for the time being in force;  $\Box$  Actions that may constitute ragging: The following actions shall be included but not limited to those that may constitute ragging, namely:  $\Box$ 

- a) any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;
- b)indulging in rowdy or undisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;
- c) asking any student to do any act which such the student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;
- d)any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;
- e) exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students;
- f) any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students;

- g)any act of physical abuse including all variants of it, such as, sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;
- h)any act or abuse by spoken words, emails, post, snail-mails, blogs, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student;
- i) any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (fresher or otherwise) on the ground of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity, place of birth, place of residence or economic background;
- j) any act that undermines human dignity and respect through humiliation or otherwise;
- k) any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student;
- 1) Any other act not explicitly mentioned above but otherwise construed as an act of ragging in the letter and spirit of the definition for ragging as provided under regulations 3 and 4.
- m) Institutional Administrative and Penal Actions: The nature of punitive actions that may be decided shall include the following, but shall not be limited to one or more of the sections that may be imposed, as deemed fit, namely:
  - (i) Suspension from attending classes and academic privileges;
  - (ii) With holding or with drawing scholarship or fellowship and other benefits;
  - (iii)Debarring from appearing in any test or examination or other evaluation process;
  - (iv) Withholding results;
  - (v) Debarring from attending conferences, and other academic programmers;
  - (vi) Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.;
  - (vii) Suspension or expulsion from the hostel;
- (viii) Imposition of a fine ranging from twenty-five thousand rupees to one lakh rupees;
- (ix) Cancellation of admission;
- (x) Rustication from the medical college or institution for a period ranging from one to four semesters;
- (xi) Expulsion from the medical colleges or institutions and consequent debarring from admission to any other institution for a specified period.

Date:/	Signature of Parent/Guardian of Student	Signature of Student

### कक्षाओं में नियमित उपस्थिति एवं अन्य के सम्बन्ध में छात्र / छात्रा की घोषणा

मैं एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए निम्न घोषणा करता / करती हूँ-

- 1. मैं एमबीबीएस पाठ्यकम में प्रवेश के पश्चात लगातार कक्षाओं में उपस्थित रहूँगा/रहूँगी। निर्धारित अवकाश के अतिरिक्त मैं अन्य किसी भी प्रकार से कक्षाओं में स्वैच्छा से अनुपस्थित नहीं रहूँगा/रहूँगी। प्रवेश के समय मुझे अवगत कराया गया है कि अकारण ही कक्षाओं में अनुपस्थित रहने से मेरी उपस्थिति एन०एम०सी० के मानकों से कम हो जायेगी, जिससे मैं परीक्षाओं में भाग लेने से भी रोक दिया जाऊँगा/ जाऊंगी और मेरा सत्र भी आगे बढ़ जायेगा। इसके लिए स्वयं मैं ही उत्तरदायी होऊँगा/ होऊँगी। मुझे यह भी अवगत कराया गया है कि महाविद्यालय की वेब साईट (www.asmcpilibhit.in) पर प्रत्येक तीन माह में मेरी उपस्थिति प्रदर्शित की जायेगी।
- 2. मुझे ज्ञात है कि मेरा वार्षिक टीचिंग कार्यक्रम एवं वार्षिक शैक्षणिक कैलेन्डर महाविद्यालय की वेब साईट पर उपलब्ध रहेगा। टीचिंग कार्यक्रम के अनुसार मेरी कक्षाएं आयोजित होंगी तथा कैलेन्डर में अंकित तिथियों के अनुसार ही मेरी आन्तरिक एवं महाविद्यालय स्तरीय परीक्षाएं आयोजित होंगी और कैलेन्डर में अंकित तिथियों में ही मुझे अवकाश अनुमन्य होगा। स्वीकृत अवकाश के अतिरिक्त यदि मैं कक्षाओं में नहीं जाता/जाती हूँ, तो मेरी उपस्थिति मानकों से कम रहेगी, जिसके कारण मैं महाविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं हेतु पात्र नहीं होउँगा/होउँगी।
- उ. एन०एम०सी० के नवीन किरकुलम के अनुसार यदि निर्धारित समयाविध में परीक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं कर पाता / पाती हूँ अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाता / पाती हूँ तो मुझे किरकुलम के अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम के योग्य नहीं माना जायेगा और किरकुलम के अनुसार जो भी निर्णय लिया जायेगा, वह मुझे मान्य होगा। इसके लिए स्वयं में ही जिम्मेदार एवं उत्तरदायी होऊँगा / होऊँगी।
- 4. मैं महाविद्यालय विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होऊँगा/होऊँगी, महाविद्यालय के नियमों एवं समय—समय पर दिये जाने वाले निर्देशों /आदेशों का पालन करूँगा/करूँगी। मैं छात्रावास के नियमों के अनुसार छात्रावास में निवास करूँगा/करूँगी मैं छात्रावास एवं महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुँचाऊँगा/पहुँचाऊँगी। यदि मै महाविद्यालय के नियमों का पालन नहीं करता/करती हूँ या महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता / पहुंचाती हूँ तो महाविद्यालय द्वारा जो भी दण्ड /अर्थदण्ड मुझ पर लगाया जायेगा उसे मैं पूर्ण करूँगा/करूँगी।
- 5. मैं महाविद्यालय के संकाय सदस्य/अधिकारी/कर्मचारी/किनष्ट/ विरष्ट छात्र/छात्रा आदि के साथ झगड़ा/दुर्व्यवहार अथवा अन्य कोई ऐसा कार्य जो महाविद्यालय के नियमानुकूल नहीं होगा अथवा रैगिंग की श्रेणी में आता होगा, नहीं करूँगा/करूँगी। यदि ऐसे किसी भी कार्य में मेरी संलिप्तता परिलक्षित होती है तो मेरे विरूद्ध महाविद्यालय द्वारा जो कार्यवाही की जायेगी, यह मुझे मान्य होगी।

छात्र / छात्रा का नाम हस्ताक्षर

### छात्र/छात्रा की उपरोक्त घोषणा के क्रम में छात्र/छात्रा के माता/पिता/अभिवावक की घोषणा।

मेरे पुत्र /पुत्री द्वारा उपरोक्तानुसार की गयी घोषणा से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। उपरोक्त के साथ ही मैं भी निम्नानुसार घोषणा करता / करती हूँ कि—

- 1— मेरा पुत्र/पुत्री नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होगा। वह बिना अवकाश के चिकित्सा महाविद्यालय से बाहर नहीं जायेगा/जायेगी। यदि वह बिना अवकाश के अपने घर आयेंगें अथवा महाविद्यालय से बाहर अन्यत्र जायेगें, तो मैं महाविद्यालय से दूरभाष/ई— मेल (asmcpilibhit2022@gmail.com) द्वारा समय—समय पर इसकी पृष्टि करता रहूँगा/रहूँगी।
- 2— मुझे यह भी ज्ञात है कि मेरे पुत्र/पुत्री का वार्षिक टीचिंग कार्यक्रम एवं वार्षिक शैक्षणिक कैलेन्डर महाविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। टीचिंग कार्यक्रम के अनुसार मेरे पुत्र/पुत्री की अध्ययन जारी रहेगा तथा कैलेन्डर में अंकित तिथियों के अनुसार ही मेरे पुत्र/पुत्री की आन्तरिक एवं महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षायें आयोजित होंगी कैलेन्डर में अंकित तिथियों में ही अवकाश स्वीकृत किये जायेगें। स्वीकृत अवकाश के अतिरिक्त यदि वह कक्षाओं में नहीं जाते हैं, तो उनकी उपस्थिति मानकों से कम रहेगी, जिसके कारण वह विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं हेतु पात्र नहीं होगे।
- 3— एन०एम०सी० के नवीन करिकुलम के अनुसार यदि निर्धारित समयाविध में मेरा पुत्र/पुत्री परीक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं कर पाता/पाती है अथवा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाता/पाती है, तो वह करिकुलम के अनुसार एमबीबीएस पाठय्क्रम के योग्य नहीं माना जायेगा /मानी जायेगी और नवीन करिकुलम के अनुसार जो भी निणर्य लिया जायेगा, वह मुझे मान्य होगा। इसके लिए मेरा पुत्र/पुत्री एवं मैं ही जिम्मेदार एवं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।
- 4— महाविद्यालय द्वारा वेबसाइर्ट www.asmcpilibhit.in पर प्रत्येक तीन माह में मेरे पुत्र /पुत्री की जो उपस्थिति प्रदर्शित की जायेगी मैं स्वयं ही उसका अवलोकन करूँगा / करूँगी। यदि कम उपस्थिति होती है, तो इसके लिए मैं अपने पुत्र /पुत्री को नियमित कक्षाओं में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करूँगा / करूँगी। इसके पश्चात भी यदि वह कम उपस्थित के कारण परीक्षाओं में भाग लेनें से रोका जाता है, तो इसके लिये मेरा पुत्र /पुत्री एवं मै ही जिम्मेदार होऊँगा / होऊँगी।
- 5— मेरा पुत्र/पुत्री महाविद्यालय विरोधी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा/होगी। वह महाविद्यालय के सभी गुरूजनों, अधिकारियों, कर्मचारियों, सहपाठियों, कनिष्ठ/वरिष्ठ छात्र/छात्राओं से झगडा/दुर्व्यवहार/रैगिंग नहीं करेगा/करेगी। उपरोक्त किसी भी गतिविधि में मेरा पुत्र/पुत्री की संलिप्तता परिलक्षित होती है, तो महाविद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीं मुझे मान्य होगी।

छात्र का नाम	छात्र/छात्रा के माता/पिता/अभिवावक का ना		
	हस्ताक्षर		